अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल आरा

पत्रांक ...684... अनु0 / आरा, दिनांक 31/07 / 2025

प्रेषक,
ई0 प्रवीण कुमार सिन्हा
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा।

सेवा में
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, आरा।

विषय :– ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा के अधीन शीर्ष **MMGSY (AWSESH-SC)** योजनान्तर्गत **पैकेज संख्या–MMGSY-(AWSESH-SC)-Ara-02 (टेन्डर आई0 डी0–140915)** का पथ निर्माण एवं छः वर्षीय रख–रखाव कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक–1388 दिनांक–30.07.2025 एवं विभागीय पत्रांक–1772 दिनांक–30.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक–1388 दिनांक–30.07.2025 के आलोक में सूचित करना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा के अधीन शीर्ष **MMGSY (AWSESH-SC)** योजनान्तर्गत पैकेज संख्या–**MMGSY-(AWSESH-SC)-Ara-02** (टेन्डर आई0 डी0–140915) का पथ निर्माण एवं छः वर्षीय रख–रखाव कार्य का सफल न्यूनतम दर निविदाकार **Rajiv Ranjan Singh** (बीड आई0डी0–617358) को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से **-19.99% (उन्नीस दशमलव नौ नौ)** प्रतिशत कम पर अर्थात रू0 **2,81,12,736.00 (दो करोड़ इक्यासी लाख बारह हजार सात सौ छत्तीस रूपये)** मात्र पर निम्न शर्तो के साथ कार्य आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के निष्पादन पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1772 दिनांक–30.07.2025 के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व कार्यपालक अभियंता अग्रधन का सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

2. कार्य का निष्पादन **MMGSY (AWSESH)** योजना की मार्गदर्शिका एवं मानक निविदा अभिलेख के अनुरुप किया जायेगा।
3. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिये है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा ।
4. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिये जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये राशि से संबंधित बैंक गारंटी/एन0एस0सी0 आदि का सत्यापन संबंधित बैंक/डाकघर से करा कर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित कर संधारित किया जायेगा।
5. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रुप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
6. एकरारनामा के समय निविदाकार से मासिक कार्य योजना लिखित रुप से प्राप्त कर लिया जायेगा, जो एकरारनामा का अंश होगा।
7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इनमें कमी पायी जाती है तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सुचना में उल्लेखित शर्त्त एकरारनामा का भाग होगा जिसे विशेष शर्तो में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
9. एकारारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेगें की इसमें कोई त्रुटि नहीं है ।

Executive Engineer
R.W.D. (W) Div., Ara
27/07/25

Scanned with CamScanner